राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2152 व 2153/2013..... जिला : जयपुर.....
मैसर्स खण्डेलवाल एण्टरप्राइजेज,चौडा रास्ता,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन,राज. जोन प्रथम,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2014	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीले अपीलीय अधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 05.12.2013, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम'. कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,राज. जोन प्रथम,जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.10.2013 निर्धारण वर्ष 2006–07 व 2007–08 के सम्बन्ध में कायम की गयी क्रमशः मांग राशि रू. 41,37,925/–एवं 33,69,,704/– में से रू. 31,98,832/– व 21,55,268/– का स्थगन प्रदान करते हुए कर एवं ब्याज रू. 9,39,093/–व 12,14,436/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्षीय की बहस सुनयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया आंशिक सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त उक्त स्थगित राशि की शर्तो को पूर्ण करने की अवस्था मे अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कुल मांग राशि में से वसूली योग्य शेष रू. 9,39,093/–व 12,14,436/– में से क्रमशः कर राशि रू.1,23,583/– व रू 3,82,839/– पर स्थगन प्रदान नहीं किया जाकर ब्याज राशि रू. 815,510/– व रू. 8,31,597/– पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा । अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है । निर्णय सुनाया गया । (मदन लाल) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	